

12-08-2026

जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत हुआ। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस जमानत प्रार्थनापत्र पर बल नहीं दिया गया है। जिसका उल्लेख उनके द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र एवं आदेशपत्र के पार्श्वकिन में किया गया है।

अतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र बल न दिये के कारण, निरस्त किया जाता है।

(अरविन्द मलिक)
आई0डी0यू0पी01904
सेशन न्यायाधीश, महाराजगंज
12-08-2026